

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमंखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद संख्य-28/22

जंग बहादुर महतो एवं अन्य बनाम कलेश्वर महतो एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
13/12/23	<p>वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह बाद वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता की अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14 सितंबर 2022 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदक को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि वादी के द्वारा वाद पत्र के अनुसूची ग में वंशावली को दर्शाया गया है जिसमें खतियान में लक्ष्मण महतो के दो पुत्र स्वर्गीय नारायण महतो व स्वर्गीय सोनेलाल महतो जिसमें से स्वर्गीय नारायण महतो के एक पुत्र धर्मेंद्र महतो ही हैं तथा स्वर्गीय सोनेलाल महतो नावलद मर गए ऐसी दशा में संतोष महतो मंटू महतो के स्थान पर एक मात्र पुत्र धर्मेंद्र महतो का नाम दर्शना आवश्यक है तथा वंशावली में कानू उर्फ शिव महतो के स्थान पर शककल महतो दर्ज हो गया है जिसे सुधार कर कानू महतो उर्फ शिव महतो दर्ज करना आवश्यक है। इसी प्रकार कानू महतो के कुल पांच पुत्र हैं लेकिन वंशावली में तीन पुत्र को ही दर्शाया गया है जिसे सुधार कर कानू महतो के पांच पुत्र को दर्शना आवश्यक है अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।</p> <p>प्रतिवादी इस वाद में अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर है तथा वादी के द्वारा चाहा गया संशोधन सामान्य प्रकृति का है और उससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हुआ प्रतीत होता है अतः न्यायहित में वादी के उक्त आवेदक को स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 22/01/24 उपस्थिति हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित-</p> <p style="text-align: center;">असैनिक न्या.(व.को.)बनमंखी पूर्णिया ,बिहार</p>	